भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1140

(दिनांक 22.11.2019 को उत्तर देने के लिए)

सामुदायिक रेडियो स्टेशन

1140. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः
श्री ए. राजाः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा स्थान-वार वर्तमान में कार्यशील/कार्यरत सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सी आर एस) की संख्या कितनी है और स्थान-वार तथा किए गए लक्ष्य और उस पर प्रतिक्रिया क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों, विशेषकर देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में सीआरएस की स्थापना हेतु स्थानों की पहचान की है और इसके लिए कितनी निधि स्वीकृत की गई है;

(ग) यदि हां, तो बिहार और तमिलनाडु सहित/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे स्थापित करने हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या है और प्रस्तावित सीआरएस के कब तक स्थापित होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का सीआरएस की स्थापना हेतु आवेदन प्रक्रिया को सरलीकृत करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क): वर्तमान में, देश में 274 सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) चालू हैं। सीआरएस की स्थापना सामुदायिक भागीदारी से एक स्वैच्छिक प्रयास है। अतः इसके कोई निर्धारित लक्ष्य नही हैं।

(ख) और (**ग)**: मंत्रालय देश में सामुदायिक रेडियो (सीआर) के डार्क जिलों की सूची रखता है। 237 सीआर डार्क जिलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची मंत्रालय की वेबसाइट **www.mib.nic.in** पर उपलब्ध है। मंत्रालय सामुदायिक रेडियो नीति और सामुदायिक रेडियो सहयोग स्कीम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन करता है। आमतौर पर प्रत्येक वर्ष जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

(घ) और (ङ): आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण एक सत्तत प्रक्रिया है जिसे समय-समय पर सभी हितधारकों के साथ परामर्श के पश्चात किया जाता है।

*****